प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द,(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, **वर्ष 2023**
प्र.ई.रि.सं. 257/23 दिनांक 21/9/2023

2.–(1) **अधिनियमः– भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018)** धारा **7, 7ए**
(2) अधिनियम धारा 120 भां.दं.सं.
(3) अधिनियम धारा.....–.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....–.....

3.–**(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या** 436 समय 11:00 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन **बुधवार, दिनांक 20.09.2023, समय 07.47 पी.एम**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 13.09.2023 समय 07.30 ए.एम

4.–**सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित**

5–**घटनास्थलः**– ग्राम भोलीखेडा पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दिशा–उत्तर बफासला 40 किलोमीटर
(ब) पता.....बीट संख्या.....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना.....जिला.....

6.– **परिवादी/सूचनाकर्ता :–**
(अ).–नाम :– **श्रीमती मीना**
(ब).–पिता का नाम :– **श्री लक्ष्मण लाल**
(स).–जन्म तिथि :– **उम्र 29 वर्ष,**
(द).–राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
(य).–पासपोर्ट संख्या.....–.....जारी होने की तिथि.....–.....जारी होने की जगह.....–.....
(र).–व्यवसायः–घरधंधा
(ल).–पता :– निवासी– ग्राम भोलीखेडा तहसील व पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द

7.– **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित** :–.....
1. श्री निसार अहमद पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान उम्र 59 साल निवासी सहाडा, पुलिस थाना गंगापुर जिला भीलवाडा हाल ए0एस0आई0 पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द
2. श्री कमलेश पुत्र श्री अमर चन्द जाति दर्जी उम्र 27 साल निवासी साकरडा, तहसील व पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द (दलाल)

8.– **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नहीं**

9.– **चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)**

आरोपी श्री निसार अहमद ए0एस0आई0 पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादीया के विरूद्ध पुलिस थाना आमेट में दर्ज परिवाद में परिवादिया के पक्ष में कार्यवाही करने एवं आपसी राजीनामा कराने की एवज में रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये की मांग करना तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तानुसार परिवादिया द्वारा रिश्वत राशि कम करने की कहने पर 50,000 रूपये लेने पर सहमत होना, मांग अनुसार दिनांक 20.09.23 को 40,000/–रूपये आरोपी श्री कमलेश दर्जी के मार्फत प्राप्त करना, तथा आरोपी श्री कमलेश दर्जी द्वारा उक्त रिश्वत राशि 40,000/–रूपये अपने हाथों से गिनकर प्राप्त करने के बाद अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायी जेब में रखना तथा आरोपी कमलेश की पहनी हुई उक्त पेन्ट की आगे की बायी जेब से रिश्वत राशि 40,000/– रूपये बरामद होना तथा उक्त कमलेश दर्जी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उसके वाट्सअप मोबाईल नंबर से श्री निसार अहमद के वाट्सअप मोबाईल नं. पर 40,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत वार्ता करना। तत्पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई में दोनो हाथों के धोवण का रंग मटमैला होना व पहनी हुई पेन्ट जिसके आगे की बायी जेब को उलटवा कर उसके धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया जाने से आरोपी श्री निसार अहमद पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान उम्र 59 साल निवासी सहाडा, पुलिस थाना गंगापुर जिला भीलवाडा हाल ए0एस0आई0 पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द एवं श्री कमलेश पुत्र श्री अमरचन्द जाति दर्जी उम्र 27 वर्ष निवासी साकरडा तहसील व पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भा.दं.सं. का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने से उक्त दोनो ही आरोपीगणों को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

10.–**चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य** (आरोपी द्वारा रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये की मांग करने पर परिवादिया द्वारा रिश्वत राशि कम करने की कहने पर 50,000 रूपये लेने पर सहमत होना, मांग अनुसार दिनांक 20.09.23 को 40,000/– रूपये श्री कमलेश दर्जी के मार्फत प्राप्त करना।)

11.–**पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)**.....–.....

12.–**विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)** मूंपं

महोदय जी,

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 13.09.2023 समय 07.30 ए.एम. पर परिवादीया मीना पुत्री श्री लक्ष्मण लाल सालवी उम्र 29 वर्ष निवासी भोलीखेडा पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द इसके बडे भाई श्री सुरेश पुत्र श्री लक्ष्मण लाल सालवी उम्र 38 वर्ष निवासी भोलीखेडा पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द के साथ ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आयी और परिवादीया मीना ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "निवेदन है कि मैं प्रार्थीया मीना पुत्री श्री लक्ष्मणलाल सालवी, निवासी भोलीखेडा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द की रहने वाली हुं। मेरे गांव की प्यारी बाई के और मेरे बीच रूपयों के उधार का लेन–देन चलता रहता है और इस तरह प्यारी बाई मेरे से वर्ष 2021 से अब तक दो लाख दस हजार रूपये टुकडो–टुकडों में उधार लेकर गई। जिसके पेटे उसने मुझे उसके और उसकी पुत्रीयों के नाम की करीब आधा बीघा खेती की जमीन जो कि जिलोला आमेट रोड पर स्थित है, को मुझे बेचने के लिये कहा तो मैनें उसे कहा कि भील जाति की खेती की जमीन मेरे खाते नहीं आती है। लेकिन मेरे उधार रूपये के हिसाब करने के लिये जमीन की लिखापढी करना ही सही मान कर मैनें मेरे मिलने वाले श्री सुरेश भील निवासी माद से बात की तो उसने मुझे प्यारी बाई की जमीन को पार्टनरी में लेने के लिये बताया और उसने अपने नाम पर कराने के लिये कहा था। जिस पर मैंने सुरेश भील के नाम पर जमीन की लिखापढी कराने की बात प्यारी बाई को बताई तो उसने भी सहमति दी थी। जिसके बाद आज से करीब 05 माह पहले प्यारी बाई भील व उसकी पुत्रियों द्वारा माद गांव के सुरेश भील को जमीन बेचने की लिखापढी स्टाम्प पर की थी तब मैं व मेरे बडे भाई सुरेश सालवी दोनो प्यारी बाई के कहने पर आमेट में उस दिन स्टाम्प नहीं मिलने से उसके व उसकी पुत्रीयों के साथ देवगढ गये थे। जहां पर स्टाम्प लेकर उस पर लिखापढी कराई थी जिसकी नोटेरी आमेट में आकर करवाई थी, जिस लिखापढी में मैं व मेरा भाई सुरेश सालवी दोनों गवाह रहे थे। इस लिखापढी के समय प्यारीबाई का बेटा प्रभुलाल भील शामिल नहीं था। अब प्रभुलाल भील ने मेरे व मेरे भाई सुरेश सालवी व जमीन खरीददार श्री सुरेश भील के खिलाफ एस. पी. साहब राजसमन्द के यहां पर एक शिकायत की हैं। जिसकी कार्यवाही आमेट थाने पर निसार अहमद नाम के एएसआई साहब कर रहे हैं। अब एएसआई साहब निसार अहमद मुझे व मेरे भाई को आरोपी बनाकर कार्यवाही करने की धमकी दे रहे हैं और कार्यवाही मेरे पक्ष में करने व आपसी राजीनामा कराने की एवज में मुझसे 1,50,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैं एएसआई साहब निसार अहमद को 1,50,000 रूपये रिश्वत के रूप में नहीं देना चाहती हुं और निसार अहमद एएसआई साहब को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहती हुं। मेरे व मेरे भाई सुरेश सालवी एवं एएसआई साहब निसार अहमद के बीच में कोई आपसी रंजिस नहीं हैं और ना ही हमारे बीच कोई आपसी लेन–देन बकाया हैं। मेरे बडे भाई सुरेश सालवी इस कार्यवाही में मेरे साथ ही रहेंगे और आज भी मेरे साथ ही हैं और यह हाथ से लिखी हुई रिपोर्ट भी इन्होने ही लिखी है। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि कानूनी कार्यवाही करावें।"

उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट का मन् पुलिस निरीक्षक मंशाराम ने अवलोकन किया और अग्रिम कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादीया मीना व सहपरिवादी सुरेश सालवी को उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो परिवादीया मीना व सहपरिवादी सुरेश सालवी ने अपने पेश की हुई हस्तलिखित को सुन–समझकर शब्द–ब–शब्द सही होना स्वीकार कर रिपोर्ट की ताईद की तथा परिवादीया मीना ने मजिद् दरियाप्त पर बताया कि "मेरे गांव भोलीखेडा की प्यारी बाई भील के और मेरे बीच रूपयों के उधार का लेन–देन चलता रहता है और इस तरह प्यारी बाई मेरे से वर्ष 2021 से अब तक दो लाख दस हजार रूपये टुकडो–टुकडों में उधार लेकर गई थी। जिनको वापस नहीं चुका पाने के कारण उसने मुझे उसके और उसकी पुत्रीयों के नाम की करीब आधा बीघा खेती की जमीन जो जिलोला आमेट रोड पर स्थित है, को मुझे बेचने के लिये कहा तो मैनें उसे कहा कि भील जाति की खेती की जमीन मेरे खाते नहीं आती है। लेकिन मेरे उधार रूपये के हिसाब करने के लिये जमीन की लिखापढी करना ही सही मान कर मैनें मेरे मिलने वाले श्री सुरेश भील निवासी माद से संपर्क कर बात की तो वह प्यारी बाई की जमीन को मेरे साथ पार्टनरी में लेकर खुद के नाम पर कराने के तैयार हो गया तो मैंने सुरेश भील के नाम पर जमीन की लिखापढी कराने की बात प्यारी बाई को बताई तो उसने भी सहमति दी थी। जिसके बाद आज से करीब 05 महीने पहले प्यारी बाई भील व उसकी पुत्रियों ने माद गांव के सुरेश भील को जमीन बेचने की लिखापढी स्टाम्प पर की थी तब मैं व मेरे बडे भाई सुरेश सालवी दोनो प्यारी बाई के कहने पर आमेट में उस दिन स्टाम्प नहीं मिलने से उसके व उसकी पुत्रीयों के साथ देवगढ गये थे। जहां पर स्टाम्प लेकर उस पर लिखापढी कराई थी जिसकी नोटेरी आमेट में आकर करवाई थी, जिस लिखापढी में मैं व मेरा भाई सुरेश सालवी दोनों गवाह रहे थे। इस लिखापढी के समय प्यारीबाई का बेटा प्रभुलाल भील मोजुद नहीं था। अब प्रभुलाल भील ने मेरे व मेरे बडे भाईसाहब सुरेश सालवी व जमीन खरीददार श्री सुरेश भील के खिलाफ एस.पी. साहब राजसमन्द के यहां पर शिकायत की हैं। जिसकी कार्यवाही आमेट थाने पर निसार अहमद नाम के एएसआई साहब कर रहे हैं। अब एएसआई साहब निसार अहमद मुझे व मेरे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उसमें आरोपी बनाकर कार्यवाही करने की धमकी दे रहे हैं और कार्यवाही मेरे पक्ष में करने व आपसी राजीनामा कराने की के बदले मुझसे 1,50,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैं

एएसआई साहब निसार अहमद को 1,50,000 रूपये रिश्वत के रूप में नहीं देना चाहती हुं और निसार अहमद एएसआई साहब को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहती हुं और मेरे व मेरे भाई सुरेश सालवी के एएसआई साहब निसार अहमद से कोई आपसी रंजिश नहीं हैं और ना ही हमारे बीच कोई आपसी लेन–देन बकाया हैं। मेरे बडे भाई सुरेश सालवी आज मेरे साथ ही हैं और आपको पेश की हुई रिपोर्ट भी इन्होंने ही लिखी है।" इस प्रकार परिवादीया मीना ने प्यारी बाई भील व सुरेश भील के मध्य स्टाम्प पर जो लिखापढी की उसकी फोटोप्रतियां स्वहस्ताक्षरित भी पेश की जिसे भी बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त दरियाप्त से मामला धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत अपराध की श्रेणी में आने से ट्रेप कार्यवाही हेतु अग्रिम कार्यवाही के कम में नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से हैड कानि. श्री गोविन्दनारायण नं. 117 से डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर व नया मेमोरी कार्ड निकलवाकर अपने पास रखा और दोनो ही परिवादीगण को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के रख–रखाव व उसको चालु बंद करने व इसमें वार्ता को रिकॉर्ड करने की विधि को पुरी तरह से समझाया गया। तत्पश्चात ब्यूरो कार्यालय की ही महिला कानि. श्रीमती तारा नं. 259 व कानि. श्री किशनाराम नं. 404 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी से आपस में परिचय कराया और महिला कानि. श्रीमती तारा नं. 259 व कानि. श्री किशनाराम नं. 404 को परिवादीगण के हमराह आमेट जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित कर किया गया।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मंशाराम को परिवादीया मीना ने बताया कि "निसार अहमद एएसआई साहब ने मुझे आज ही आमेट पुलिस थाने पर रिश्वत राशि के बारे में बात करने के लिये बुलाया हैं। इसलिये आज ही रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करना ठिक होगा।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मंशाराम ने अपने पास सुरक्षित रखे आज ही पूर्व में मालखाने से निकलवाये हुये डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय नये मेमोरी कार्ड पूर्णतया खाली होने को सुनिश्चित कर उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नये मेमोरी कार्ड को लगाकर कार्यालय के जाप्ता महिला कानि. श्रीमती तारा नं. 259 व कानि. श्री किशनाराम नं. 404 को परिवादीगण मीना और सुरेश सालवी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने की हिदायत कर समय 08.30 ए.एम. पर महिला कानि. श्रीमती तारा नं. 259 को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर सूपुर्द कर तारा महिला कानि. व श्री किशनाराम कानि. नं. 404 को सरकारी मोटरसाईकिल से व परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी को उनकी निजी स्कुटी से साथ–साथ ही ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से कस्बा आमेट की ओर रवाना किया।

तत्पश्चात समय 6.15 पी.एम. पर श्री किशनाराम कानि. नं. 404 व श्रीमती तारा महिला कानि. नं. 259 उपस्थित कार्यालय आये और किशनाराम कानि. ने महिला कानि. तारा के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "मैं और तारा महिला कानि. सरकारी मोटरसाइकिल से और परिवादीया मीना और सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी उनकी निजी स्कुटी से रवाना होकर कस्बा आमेट पहुंचे परन्तु पुलिस थाना आमेट के निकट एकान्त स्थान की कमी होने से एकान्त स्थान की तलाश करते हुये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट के पीछे की ओर स्थित सडक के किनारे समय करीब 11.15 ए.एम. पर पहुंचे जहां पर विलायती बबुल की झाडीयों की आड लेकर एकान्त स्थान पर खडे होकर समय 11.31 ए.एम. पर मेरे स्वयं के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को तारा महिला कानि. के समक्ष ही चालू कर परिवादीया मीना को सहपरिवादी सुरेश सालवी के समक्ष देकर दोनो ही परिवादीगण को पुलिस थाना आमेट में जाकर संदिग्ध श्री निसार अहमद ए.एस.आई से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर पुनः उसी स्थान पर आने हेतु हिदायत कर परिवादीगण को उनकी निजी स्कुटी से रवाना किया और मैं तथा तारा महिला कानि. 259 भी उनके पीछे–पीछे ही सरकारी मोटरसाइकिल से रवाना होकर पुलिस थाना आमेट के मुख्य दरवाजे से कुछ दुरी पर रूक गये और दोनो ही परिवादीगण पर नजर रखी और यह सुनिश्चित किया कि परिवादीगण पुलिस थाना आमेट में ही गये है। उसके पश्चात मैं और तारा महिला कानि. 259 का पुलिस थाना आमेट के निकट अधिक रूकना उचित नहीं होने से पुनः सरकारी मोटरसाइकिल से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट के पीछे की ओर स्थित सडक के किनारे पहुंच उन्हीं विलायती बबुल की झाडीयों की आड लेकर एकान्त स्थान पर रूके रहें। जिसके उपरांत समय 02.06 पी.एम. पर परिवादीगण मीना और सुरेश सालवी उनकी निजी स्कुटी से पुनः पुर्व की हिदायत अनुसार उसी स्थान पर मेरे और तारा महिला कानि. के पास आये और जिस पर परिवादीया मीना ने मुझे उसके पास मोजुद डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर, जो कि चालु अवस्था में था, जिसे लेकर मैनें बंद किया और मेरे पास ही सुरक्षित रखा। उसके बाद परिवादीया मीना ने मुझे बताया कि "मैं और मेरे बडे भाई साहब सुरेश सालवी दोनों आपके पास से सीधे पुलिस थाना आमेट गये जहां पर निसार अहमद ए.एस.आई अपने कार्यालय कक्ष में बैठे थे जहां पर मैनें और मेरे बडे भाईसाहब सुरेश सालवी ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मेरे और मेरे भाई के खिलाफ रिपोर्ट पर कार्यवाही करने और विपक्षी पार्टी से समझोते के लिये बात करने के लिये कहा नहीं तो मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर मुझसे 1,50,000 रूपये रिश्वत की मांग की है।" जिसके पश्चात सहपरिवादी सुरेश सालवी ने भी परिवादीया मीना की बताई बात के सही होना

स्वीकार किया और कहा कि "आपको मेरी बहिन मीना ने जो रिकॉर्डर अभी दिया है उसे चालु करके उसमें रिकॉर्ड बातचीत को आप सुनोगे तो आपको भी हमारी बात सही होने का पता चल जायेगा।" जिस पर मुझ कानि. किशनाराम नं. 404 ने महिला कानि. तारा नं. 259 व दोनो ही परिवादीगण के समक्ष ही अपने पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर को चालु कर उसमें रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादीया मीना से संदिग्ध श्री निसार अहमद एएसआई द्वारा 1,50,000 रूपये रिश्वत राशि मांगने और परिवादीया मीना द्वारा बताई बात की पुष्टि होना पाया गया। जिसके पश्चात मैंने और महिला कानि. तारा नं. 259 ने परिवादीगण को उचित हिदायत कर रवाना सकुनत कर दिया। तत्पश्चात मैं और तारा महिला कानि. नं. 259 सरकारी मोटरसाइकिल से आमेट से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द उपस्थित आये है।" कानि. किशनाराम नं. 404 के बताये उपरोक्त हालात की महिला कानि. तारा नं. 259 ने भी ताईद की तथा कानि. किशनाराम नं. 404 ने महिला कानि. नं. 259 के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक को उसके पास सुरक्षित बंद अवस्था में रखे हुये डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को पेश किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु कर उसमें रिकॉर्डशुदा वार्ता को सुना तो परिवादीया मीना से संदिग्ध आरोपी श्री निसार अहमद एएसआई द्वारा 1,50,000 रूपये रिश्वत राशि मांगने की पूष्टि हुई परन्तु रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एक बार पुनः कराया जाना उचित होने से मन् पुलिस निरीक्षक ने कानि. किशनाराम नं. 404 व महिला कानि. तारा नं. 259 को परिवादीगण से संपर्क कर कल दिनांक 14.09.2023 को पुनः संदिग्ध आरोपी श्री निसार अहमद ए.एस.आई. से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कराने के संबंध में निर्देश दिये तथा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को मालखाना प्रभारी श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड सहित को दुरूस्त हालात में मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु सुपूर्द किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 14.09.2023 को गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 से डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को मंगवा उसे सुपूर्द कर उसे व तारा महिला कानि. नं. 259 को सरकारी मोटरसाइकिल से परिवादीगण मीना व श्री सुरेश सालवी से संपर्क कर संदिग्ध आरोपी श्री निसार अहमद ए.एस.आई से पुनः रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कराया गया जिसमें निसार अहमद ए. एस.आई ने 1,50,000 रूपये के एक तिहाई के हिसाब से 50,000 रूपये की मांग की। निसार अहमद एएसआई को 50000 रूपये रिश्वत देना तय होने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने भी डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु कर उसमें रिकॉर्डशुदा वार्ता को सुन कर निसार अहमद एएसआई द्वारा 50,000 रूपये रिश्वत राशि मांगने की पूष्टि होना पाया। तत्पश्चात मालखाना प्रभारी श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड सहित को दुरूस्त हालात में मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु निर्देश देकर सुपूर्द किया।

तत्पश्चात दिनांक 15.09.2023 समय 08.00 ए.एम पर पूर्व पाबंदशुदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद बैरवा हाल सहायक अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड प्रथम राजसमन्द व श्री मोजीराम गुर्जर हाल कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये तथा पंचायत समिति राजसमन्द का सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–30–यु0ए0–1291 मय वाहन चालक श्री भूपेन्द्र गंगवाल उपस्थित आया।

तत्पश्चात समय 09.30 ए.एम. पर परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी दोनों ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द उपस्थित आये तथा मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादीया मीना ने बताया कि "निसार अहमद एएसआई को रिश्वत में देने के लिये पुरे 50,000 रूपये की व्यवस्था नहीं हो सकी है और मैं आपके पास 20,000 रूपये की व्यवस्था करके लेकर आई हुं। इसलिये आज मैं निसार अहमद ए.एस.आई. को 50,000 रूपये रिश्वत से कम करने के लिये बातचीत करूंगी।" जिस पर परिवादीया मीना और सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया।

समय 09.35 पी.एम पर कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादीगण व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करा कर परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुना। जिस पर परिवादीया मीना द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात समय 10.30 ए.एम. पर परिवादीया मीना और सहपरिवादी सुरेश सालवी के हमराह आमेट जाकर पुनः एक बार आरोपी श्री निसार अहमद एएसआई से वार्ता कराया जाना आवश्यक होने से पुनः रिश्वत मांग का सत्यापन कराया गया। जिसमें निसार अहमद एएसआई द्वारा 40000 रूपये रिश्वत के रूप में लेने के संबंध में सत्यापन होना पाया।

तत्पश्चात दिनांक 19.09.2023, समय 08.00 ए.एम पर तलबशुदा परिवादीगण मीना व सुरेश सालवी को व स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद बैरवा हाल सहायक अभियंता तथा श्री मोजीराम गुर्जर हाल कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये तथा श्री गोविन्दनारायण हैड

कानि. 117 से दिनांक 15.09.2023 को उसे सुपूर्द किये हुये डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर को मालखाना से मंगवाकर अपने पास सुरक्षित रखा।

तत्पश्चात समय 08.30 ए.एम पर दोनों ही स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद व श्री मोजीराम तथा परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी के समक्ष, दिनांक 13.09.2023 को समय 11. 31 ए.एम. पर परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी व आरोपी श्री निसार अहमद ए. एस.आई. के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉइस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने निर्देशन में श्री भंवरदान कानि. नं. 414 से उपरोक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब कराई गई तथा श्री भंवरदान कानि. नं. 414 के द्वारा ही ब्यूरो के लेपटॉप से डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सी.डी. तैयार की गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादीगणों ने अपनी–अपनी और आरोपी श्री निसार अहमद एएसआई की आवाज होने की पुष्टि की तथा मूल सी.डी. पर परिवादीया मीना, सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में रख सिलचिट की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल सी.डी. एवं डब सी.डी. को सुरक्षित रखने हेतु श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 को संभलाया गया।

तत्पश्चात समय 01.30 पी.एम पर दोनों ही स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद व श्री मोजीराम तथा परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी के समक्ष, दिनांक 14.09.2023 को समय 12.52 पी.एम. पर परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी व आरोपी श्री निसार अहमद एएसआई के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉइस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने निर्देशन में श्री किशनाराम कानि. नं. 404 से उपरोक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब कराई गई तथा श्री किशनाराम कानि. नं. 404 के द्वारा ही ब्यूरो के लेपटॉप से डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सी.डी. तैयार की गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादीगणों ने अपनी–अपनी और आरोपी श्री निसार अहमद एएसआई की आवाज होने की पुष्टि की तथा मूल सी.डी. पर परिवादीया मीना, सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में रख सिलचिट की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल सी.डी. एवं डब सी.डी. को सुरक्षित रखने हेतु श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 को संभलाया गया।

तत्पश्चात समय 07.30 पी.एम पर दोनों ही स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद व श्री मोजीराम तथा परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी के समक्ष, दिनांक 15.09.2023 को समय 02.30 पी.एम. पर परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी व आरोपी श्री निसार अहमद एएसआई के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉइस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने निर्देशन में श्री किशनाराम कानि. नं. 404 से उपरोक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब कराई गई तथा श्री किशनाराम कानि. नं. 404 के द्वारा ही ब्यूरो के लेपटॉप से डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सी.डी. तैयार की गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादीगणों ने अपनी–अपनी और आरोपी श्री निसार अहमद एएसआई की आवाज होने की पुष्टि की तथा मूल सी.डी. पर परिवादीया मीना, सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में रख सिलचिट की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल सी.डी. एवं डब सी.डी. को सुरक्षित रखने हेतु श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 को संभलाया गया।

तत्पश्चात समय 10.00 पी.एम. पर दोनों ही स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद व श्री मोजीराम को रूकसत किया गया तथा परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी को भी आवश्यक हिदायत कर रवाना सकुनत किया गया तथा डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को गोविन्दनारायण हैड कानि. 117 को मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित कर सुपूर्द किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 20.09.2023 समय 02.00 पी.एम. पर कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादीया मीना ने उसे जरिये दुरभाष बताया कि "निसार अहमद एएसआई ने दलाल कमलेश दर्जी के मार्फत आज रिश्वत राशि की मांग की है और मैनें रिश्वत में दी जाने वाली राशि 40,000/–रूपये की भी व्यवस्था कर ली है।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कानि. प्रदीप सिंह के मोबाईल से ही परिवादीया मीना को अपने गांव भोलीखेडा ही रूकने हेतु निर्देश दिये तथा समय 02.30 पी.एम पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद बैरवा हाल सहायक अभियंता तथा श्री मोजीराम गुर्जर हाल कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. 117 से दिनांक 19.09.2023 को उसे सुपूर्द किये हुये डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर को मालखाना से मंगवाकर अपने पास सुरक्षित रखा।

तत्पश्चात समय 03.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय सीता महिला हैड कानि. नं. 233 व स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद बैरवा हाल सहायक अभियंता तथा श्री मोजीराम गुर्जर हाल कनिष्ठ अभियंता व कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के कानि. चालक मनोज कुमार नं. 23 के सरकारी बोलेरो नं. त्श्र 14 न्श्र 1746 से तथा ब्यूरो जाप्ता हैड कानि. गोविन्दनारायण नं. 117, भंवरदान कानि. नं. 414 तथा कानि. किशनाराम नं. 404 व प्रदीप सिंह कानि. नं. 162 व श्रीमती तारा महिला कानि. नं. 259 मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी के प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से रवाना हो समय 04.30 पी.एम. पर जिलोला आमेट रोड से होकर वरणीया व भोलीखेडा गांव की ओर जाने वाली पक्की सडक के किनारे एकान्त जगह पर रूके रहे तथा समय 04.45 पी.एम. परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी दोनो अपनी प्राईवेट स्कुटी से मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो टीम के मुकीम स्थल पर उपस्थित आये।

तत्पश्चात समय 04.50 पी.एम. मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो ही स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी की उपस्थिति में परिवादीया मीना पुत्री श्री लक्ष्मणलाल सालवी, निवासी भोलीखेडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द मोबाईल नम्बर 8005975581 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादीया मीना ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500--500 रूपये के 80 नोट राशि 40,000/— रूपये प्रस्तुत किये। उपरोक्त सभी नोटों के नम्बर निम्नानुसार हैः —

कम सं.	नोट के प्रकार	नोट का नंबर
1	500 रूपये का एक नोट	7BV 309870
2	500 रूपये का एक नोट	5SS 619992
3	500 रूपये का एक नोट	4AE 887402
4	500 रूपये का एक नोट	7AB 208916
5	500 रूपये का एक नोट	9DD 346286
6	500 रूपये का एक नोट	8RK 585917
7	500 रूपये का एक नोट	4PQ 457071
8	500 रूपये का एक नोट	5PS 935537
9	500 रूपये का एक नोट	7PF 707589
10	500 रूपये का एक नोट	2VW 413006
11	500 रूपये का एक नोट	7LN 368184
12	500 रूपये का एक नोट	5FD 395154
13	500 रूपये का एक नोट	5LS 191676
14	500 रूपये का एक नोट	6TP 125859
15	500 रूपये का एक नोट	9HT 210607
16	500 रूपये का एक नोट	4LT 305559
17	500 रूपये का एक नोट	2LG 004533
18	500 रूपये का एक नोट	9QQ 709850
19	500 रूपये का एक नोट	4KV 691539
20	500 रूपये का एक नोट	8PT 966742
21	500 रूपये का एक नोट	1ER 466875
22	500 रूपये का एक नोट	1ER 466876
23	500 रूपये का एक नोट	1ER 466877
24	500 रूपये का एक नोट	1ER 466878
25	500 रूपये का एक नोट	1ER 466879
26	500 रूपये का एक नोट	1ER 466880
27	500 रूपये का एक नोट	1LK 830306
28	500 रूपये का एक नोट	1LK 830307
29	500 रूपये का एक नोट	1LK 830309
30	500 रूपये का एक नोट	8ST 519295
31	500 रूपये का एक नोट	8ST 519296
32	500 रूपये का एक नोट	8QD 742260
33	500 रूपये का एक नोट	4RV 288764
34	500 रूपये का एक नोट	9MP 402512
35	500 रूपये का एक नोट	5PH 540438
36	500 रूपये का एक नोट	5ND 982025
37	500 रूपये का एक नोट	5GC 387036
38	500 रूपये का एक नोट	7QB 985324
39	500 रूपये का एक नोट	8NP 163379
40	500 रूपये का एक नोट	3PT 568242
41	500 रूपये का एक नोट	7BE 399330
42	500 रूपये का एक नोट	2CP 070903
43	500 रूपये का एक नोट	9BQ 709125
44	500 रूपये का एक नोट	6GK 384588

45	500 रूपये का एक नोट	1DS 219424
46	500 रूपये का एक नोट	5SN 983132
47	500 रूपये का एक नोट	3DA 731740
48	500 रूपये का एक नोट	4DQ 169492
49	500 रूपये का एक नोट	5VM 501676
50	500 रूपये का एक नोट	4ET 474953
51	500 रूपये का एक नोट	5KG 337755
52	500 रूपये का एक नोट	9SD 001655
53	500 रूपये का एक नोट	2DH 571045
54	500 रूपये का एक नोट	1AL 388023
55	500 रूपये का एक नोट	3KR 660754
56	500 रूपये का एक नोट	4AW 477519
57	500 रूपये का एक नोट	3DW 183448
58	500 रूपये का एक नोट	3LT 454892
59	500 रूपये का एक नोट	1HG 927122
60	500 रूपये का एक नोट	2FR 857306
61	500 रूपये का एक नोट	6WU 516384
62	500 रूपये का एक नोट	0EE 747768
63	500 रूपये का एक नोट	4CH 079873
64	500 रूपये का एक नोट	0WH 038541
65	500 रूपये का एक नोट	4BF 415084
66	500 रूपये का एक नोट	6BA 330701
67	500 रूपये का एक नोट	2CN 798524
68	500 रूपये का एक नोट	2EL 608930
69	500 रूपये का एक नोट	3KQ 972402
70	500 रूपये का एक नोट	9FG 685854
71	500 रूपये का एक नोट	2AB 764318
72	500 रूपये का एक नोट	7DG 167460
73	500 रूपये का एक नोट	7LS 757825
74	500 रूपये का एक नोट	3CS 555040
75	500 रूपये का एक नोट	0GF 475279
76	500 रूपये का एक नोट	4NU 104161
77	500 रूपये का एक नोट	3HK 717904
78	500 रूपये का एक नोट	3TT 951023
79	500 रूपये का एक नोट	1ER 466873
80	500 रूपये का एक नोट	1ER 466874

उपरोक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगाने हेतु उपस्थित ब्यूरो टीम के सदस्य श्रीमती तारा महिला कानि. नम्बर 259 से वाहन बोलेरो नं. RJ 14 UJ 1746 में पुर्व से ही उसकी ही निगरानी में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को बाहर निकलवा कर उसी से वाहन बोलेरो की बीच की सीट पर अखबार बिछा कर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोट जो परिवादीया मीना ने पेश किये जिनके दोनो ओर श्रीमती तारा महिला कानि. नम्बर 259 से उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी से पाउडर निकलवाकर लगवाया गया तथा परिवादीया मीना की स्कूटी की डिक्की की तलाशी ब्यूरो टीम के साथं उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री मोजीराम कनिष्ठ अभियन्ता से लिवाई जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगे सभी नोटो को परिवादीया मीना की स्कूटी की डिक्की में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्रीमती तारा महिला कानि. नम्बर 259 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ कॉच के गिलास में बोलेरो वाहन में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी भरवा कर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया और उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमती तारा महिला कानि. नम्बर 259 की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादीया मीना, सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब आरोपी के हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जायेगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमती तारा महिला कानि. नम्बर 259 से वाहन के बाहर रोड के किनारे फिकवा कर अखबार जिस पर नोटो के पाउडर लगवाया गया जिसे भी जलवा कर नष्ट किया गया। फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती तारा महिला कानि. नम्बर 259 को अपने पास ही सुरक्षित अवस्था में रखने की हिदायत दी। इसके पश्चात ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों से परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी का आपस में परिचय कराया गया। परिवादीया मीना को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवें तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग

को छुये। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादीया को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करें तथा रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दुपट्टा ओढ़कर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा करने हेतु निर्देशित किया तथा यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को ब्यूरो टीम के सदस्य श्री गोविन्द नारायण हैड कानि नम्बर 117 से साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाकर वाहन बोलेरो में सुरक्षित रखवाते हुए वाहन बोलेरो में पूर्व से रखी नई कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच को ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादीया तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें एवं परिवादीया मीना को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर आरोपी से होने वाली रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु निर्देशित किया तथा श्रीमती तारा महिला कानि नम्बर 259 को उसके पास सुरक्षित रखी फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी के साथ ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया।

तत्पश्चात समय 05.28 पी.एम. पर परिवादीया मीना के मोबाईल फोन निसार अहमद ए. एस.आई. के मोबाईल पर साधारण कॉल पर की गई रिश्वत राशि लेन–देन संबंधित वार्ता तथा समय 05.33 पी.एम. परिवादीया मीना के मोबाईल फोन नंबर 8005975581 से आरोपी श्री निसार अहमद एएसआई के मोबाईल नंबर 8769836286 पर वाट्सअप वॉईस कॉल पर की गई रिश्वत राशि लेन–देन संबंधित वार्ता, समय 07.09 पी.एम. पर परिवादीया मीना के मोबाईल से दलाल श्री कमलेश दर्जी के मोबाईल पर वाट्सअप वीडीयो कॉल पर की गई रिश्वत राशि लेन–देन संबंधित वार्ता, उक्त समस्त वार्ताओ को डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया तथा परिवादीया ने बताया कि कमलेश दर्जी रिश्वत राशि लेने के लिये ग्राम भोलीखेडा में ही मेरे बाडे के बाहर आने वाला है'' जिस पर समय का अभाव होने से उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अकब से मुर्तिब होगी।

तत्पश्चात समय 07.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्रीमती सीता हैड कानि. नं. 233, श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. 117, श्री भंवरदान कानि. नं. 414 मय कानि. मनोज कुमार नं. 23 मय बोलेरो सरकारी के पुलिस थाना आमेट के बाहर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये आरोपी श्री निसार अहमद की निगरानी रखने व निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु रवाना पुलिस थाना आमेट के पास किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद, श्री मोजीराम गुर्जर व कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262, श्री प्रदीप सिंह कानि. नं. 162, किशनाराम कानि. नं. 404 मय प्राईवेट वाहन के परिवादीया के ग्राम भोलीखेडा में स्थित बाडे के लिये जाने हेतु रवाना हुआ तथा परिवादीया मीना व सहपरिवादी सुरेश सालवी को भी उसकी स्कुटी से उक्त बाडे के बाहर ही मिलने के निर्देश दिये और समय 07.40 पी.एम. पर परिवादीया के ग्राम भोलीखेडा में स्थित बाडे के बाहर पहुंचे जहां पर निर्देशानुसार परिवादीया मीना व सहपरिवादी सुरेश सालवी भी उनकी निजी स्कुटी से उक्त बाडे के बाहर ही पहुंचे और परिवादीया मीना को मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालु कर दिया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो टीम सदस्यों के परिवादीया के बाडे के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहे कि समय 07.47 पी.एम. पर परिवादीया मीना ने अपने गॉव भोलीखेडा में स्थित अपने बाड़े के बाहर ब्यूरो जाप्ता को अपने सिर पर दुपट्टा ओढ कर आरोपी दलाल श्री कमलेश दर्जी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में निर्धारित ईशारा किया। परिवादीया के बाडे के आस पास अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाये हुए खडे–खडे मन् पुलिस निरीक्षक, उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद बैरवा व श्री मोजीराम गुर्जर एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं0 162, श्री किशनाराम कानि0 नं0 404 परिवादीया का उक्त निर्धारित ईशारा देखकर तेज–तेज कदमों से चल कर परिवादिया के पास पहुंचे। परिवादियां ने अपने पास रखे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक को दिया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादीया मीना ने मन् पुलिस निरीक्षक को उसके पास खडे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री कमलेश दर्जी है। जिसने श्री निसार अहमद एएसआई पुलिस थाना आमेट के कहे अनुसार मुझसे रिश्वत राशि 40,000 रूपये मांग कर ग्रहण की तथा रिश्वत राशि श्री कमलेश दर्जी ने अपने हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायी जेब में रखी है'' जिस पर आरोपी दलाल का एक हाथ श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं. 262 एवं दूसरा हाथ श्री किशनाराम कानि. नं. 404 ने कलाई के ऊपर से पकडा। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का तथा हमराहियान जाप्ता ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए आरोपी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री कमलेश पुत्र श्री अमरचन्द जाति दर्जी उम्र 27 वर्ष निवासी साकरडा तहसील व पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द मो0 नं0 8890798600 होना बताया। आरोपी दलाल श्री कमलेश दर्जी को परिवादिया मीना बुनकर से रिश्वत राशि 40,000 रूपये किस बात के लिए पुछा गया तो श्री कमलेश ने बताया कि मेरे पास निसार अहमद एएसआई साहब का फोन आया था कि मीना से 50,000 रूपये ले लेना जिस पर मन्

पुलिस निरीक्षक ने उक्त रूपये किस कारण से लिये पुछा गया तो श्री कमलेश दर्जी ने बताया कि श्रीमती प्यारी बाई और मीना के जमीन का पुलिस थाना आमेट में कोई मामला चल रहा है। उक्त मामले की जांच एएसआई श्री निसार अहमद जी कर रहे है। उक्त मामले में समझोता कराने की एवज में श्री निसार अहमद जी मीना से 50,000 रूपये मेरे मार्फत लेना चाह रहे है। निसार अहमद के कहे अनुसार में मीना बुनकर से उक्त राशि लेने आया था। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री कमलेश को मीना से ग्रहण की रिश्वत राशि 40,000 रूपये के बारे में पुछा तो श्री कमलेश ने 40,000 रूपये अपनी पहनी हुयी काले रंग की पेंट की बायी जेब में रखना बताया। इसके पश्चात् आरोपी श्री कमलेश की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मोजीराम गुर्जर कनिष्ठ अभियंता से लिवाई गई तो श्री कमलेश के पहनी हुई काले रंग की पेन्ट की आगे की बायी जेब से कुछ रूपये मिले। जिन्हें श्री मोजीराम गुर्जर के हाथ में ही रहने हेतु निर्देशित किया। इसके उपरांत मन् पुलिस निरीक्षक ने समय करीबन 08.00 पीएम पर श्री कमलेश दर्जी के मोबाईल नं. 8890798600 से श्री निसार अहमद के मोबाईल नंबर 8769836286 पर वॉट्सअप कॉल करा कर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर उक्त वार्ता रिकॉर्ड की गई। जिसमें आरोपी दलाल ने श्री निसार अहमद एएसआई से परिवादी से 40,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने संबंधी वार्ता की। ततपश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री गोविन्द नारायण जोशी हैड कानि0 नं0 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233, श्री भंवरदान कानि0 नं0 404 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री मनोज कुमार कानि0 नं0 23 को पुलिस थाना आमेट के बाहर निगरानी कर रहे, श्री गोविन्द नारायण जोशी को उक्त जाप्ते के साथ पुलिस थाना आमेट में पहुंच कर श्री निसार अहमद को निगरानी में रखने हेतु समय करीबन 8.10 पीएम पर निर्देशित किया। परिवादिया के गांव भोली खेडा में स्थित परिवादिया का बाडा के बाहर सुरक्षित स्थान नहीं होने तथा पर्याप्त रोशनी का अभाव होने से मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, मय जाप्ता मय आरोपी को उसी अवस्था में आरोपी दलाल श्री कमलेश का एक हाथ श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं. 262 एवं दूसरा हाथ श्री किशनाराम कानि. नं. 404 ने कलाई के ऊपर से पकडा हुआ को निजी वाहन में बैठा कर परिवादिया के बाडे से रवाना हो समय करीबन 08.20 पीएम पर पुलिस थाना आमेट पहुंचे जहां पर श्री निसार अहमद ब्यूरो जाप्ता की निगरानी में मौजूद मिला। मन् पुलिस निरीक्षक मय आरोपीगण के थानाधिकारी कक्ष में गए। कुछ समय में ही परिवादिया मीना बुनकर अपनी भाभी के साथ पुलिस थाना आमेट में उपस्थित आयी। मन् पुलिस निरीक्षक ने एएसआई श्री निसार अहमद को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराया तथा श्री निसार अहमद को अपना परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री निसार अहमद पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान उम्र 59 साल निवासी सहाडा, पुलिस थाना गंगापुर जिला भीलवाडा हाल ए0एस0आई0 पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द होना बताया।

तत्पश्चात आरोपी दलाल श्री कमलेश दर्जी के हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं. 117 से गाडी में रखे ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर गोविन्दनारायण हैड कानि0 नं. 117 से ही ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में थानाधिकारी के कक्ष से अलग–अलग साफ पानी भराकर मंगवा कर उक्त दोनों गिलासों में अलग–अलग एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल श्री कमलेश के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण मटमैला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो मटमैला रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा मार्क RH–1 व RH–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल श्री कमलेश के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग मटमैला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो मटमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH–1 व LH–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। आरोपी श्री निसार अहमद एएसआई से मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादीया मीना बुनकर से 40,000 रूपये रिश्वत राशि प्राईवेट व्यक्ति श्री कमलेश दर्जी से प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो आरोपी निसार अहमद ने कहा कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है और मैं इसके बारे में जानता भी नहीं हुं। जिस पर परिवादीया मीना ने बताया कि श्री निसार अहमद एएसआई साहब झुठ बोल रहे है। निसार अहमद जी ने मुझसे 50,000 रूपये मेरे विरूद्ध पुलिस थाने में दर्ज परिवाद में कार्यवाही मेरे पक्ष में करने एवं आपसी राजीनामा कराने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की ओर रिश्वत राशि श्री कमलेश दर्जी को देने की कहने पर मैंने व्यवस्थानुसार 40,000 रूपये श्री कमलेश दर्जी को दिए। जिस पर श्री निसार अहमद से पुनः पुछने पर आरोपी निसार अहमद ने बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की। मीना बुनकर के विरूद्ध पुलिस थाने में दर्ज परिवाद की जांच कर मन् एएसआई द्वारा उक्त परिवाद को श्रीमान एसपी साहब के कार्यालय में भिजवा दिया है। ततपश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री कमलेश दर्जी को आरोपी श्री निसार अहमद के सामने रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत पुनः पुछा तो श्री कमलेश

दर्जी ने बताया कि मैंने मीना बुनकर से उक्त राशि निसार अहमद एएसआई साहब के कहे अनुसार ली है। मेरा इस रिश्वत राशि से कोई लेना देना नहीं है।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादीया द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर सुनाया गया तो रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता होना पाया गया। इसके उपरांत आज दिनांक 20.09.23 को आरोपी निसार अहमद व मीना बुनकर परिवादिया के मध्य हुई मोबाईल व वाट्सअप वॉईस कॉलिंग कॉल वार्ता व पूर्व में हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताए दिनांक 13.09.23, 14.09.23 व 15.09.23 एवं रिश्वत राशि लेन–देन के पश्चात हुई मोबाईल वाट्सअप वॉईस कॉलिंग वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रखे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही चालू कर मुख्य–मुख्य अंश आरोपी श्री निसार अहमद एएसआई को सुनाई गई तथा उक्त मांग सत्यापन वार्ताओं व रिश्वत राशि संबंधी वाट्सअप वार्ता के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री निसार अहमद ने उक्त वार्ताओं में एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्ठि करते हुए रिश्वत राशि की मांग नहीं किया जाना बताया।

इसके पश्चात् आरोपी श्री कमलेश दर्जी की पहनी हुयी काले रंग की पेन्ट की आगे की बायीं जेब से मिले रूपये जो स्वतंत्र गवाह श्री मोजीराम गुर्जर के पास है जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो 500–500 के 80 नोट कुल राशि 40,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान पाये गये तथा उपरोक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री कमलेश दर्जी की पहनी हुई काले रंग की पेन्ट की आगे की बायी ओर की जेब से 40,000 रूपये बरामद होने से पहनी हुई उक्त काले रंग की पेन्ट को ससम्मान खुलवाकर आरोपी निसार अहमद का लॉवर पहनाया जाकर उक्त पेन्ट बरंग काले रंग की आगे की बायी ओर की जेब को उलटवाकर धुलवाने हेतु हैड कानि0 श्री गोविन्दनारायण नं0 117 से ही ट्रेप बॉक्स में से ही एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसे साफ पानी से धुलवा उसमें पुनः साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त गिलास में रखे रंगहीन घोल में उक्त पेन्ट की आगे की बायी ओर की जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब का धौवण हल्का गुलाबी हो गया। जिस घोल को दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरवाकर सीलचिट कर धौवण की शिशियों को मार्क कमशः P–1 व P–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् उक्त पेन्ट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क ' P ' अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिए मोबाईल हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। परिवादिया के विरूद्ध पुलिस थाना में दर्ज परिवाद की प्रति व उससे संबंधित दस्तावेजात चाहे गये तो श्री निसार अहमद ने अपने कार्यालय कक्ष से उक्त परिवाद से संबंधित दस्तावेजात पेश किये। जिसे बाद अवलोकन पुनः श्री निसार अहमद से सुरक्षित रखवा दिये उक्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां अकब से प्राप्त की जायेगी। आरोपी श्री निसार अहमद एएसआई के पुलिस थाना आमेट में स्थित बैरेक कमरा नं0 4 की खाना तलाशी दोनों स्वतंत्र गवाह व आरोपी श्री निसार अहमद के समक्ष ली जाकर फर्द खाना तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। रात्री का समय होने से एवं पर्याप्त रोशनी का अभाव होने से फर्द घटनास्थल निरीक्षण दिनांक 21.09.2023 को किया जायेगा। समय करीबन 10.35 पी0एम0 पर श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233, श्री किशनाराम कानि0 नं0 404, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262 मय आरोपी श्री कमलेश दर्जी मय प्राईवेट वाहन को राजसमन्द के लिए रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मंशाराम, दोनों स्वतंत्र गवाह, श्री गोविन्द नारायण जोशी हैड कानि. नं0 233, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 मय आरोपी श्री निसार अहमद मय मालखाना आर्टीकल्स मय रिश्वत राशि मय लेपटॉप, प्रिन्टर के तथा परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी भी उनके प्राईवेट वाहन से हमराह ही आमेट पुलिस थाना से रवाना हो समय करीब 11.40 पी0एम0 पर राजसमन्द पहुंचे तथा मालखाना आर्टीकल्स श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117 को सुरक्षित रखने हेतु संभलाये गये।

तत्पश्चात निर्देशानुसार पुलिस थाना आमेट के श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 387 उपस्थित आये तथा परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी व स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद व श्री मोजीराम के व आरोपी श्री निसार अहमद के व पुलिस थाना आमेट के कर्मचारी श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 387 के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखे हुये डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को चालु कर दिनांक 20.09.2023 को समय 05.28 पीएम पर परिवादीया मीना के मोबाईल फोन नंबर 8005975581 से आरोपी श्री निसार अहमद ए.एस.आई. के मोबाईल नंबर 9351573233 पर साधारण कॉल पर की गई रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि लेन–देन संबंधित वार्ता, की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने निर्देशन में श्री किशनाराम कानि. नं. 404 से मूर्तिब कराई गई तथा श्री किशनाराम कानि. नं. 404 के द्वारा ही ब्यूरो के लेपटॉप से डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सी.डी. तैयार की गई तथा

हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादीया मीना व आरोपी श्री निसार अहमद ने अपनी–अपनी आवाज होने की पुष्टि की तथा श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 387 ने उक्त वार्ता में एक आवाज श्री निसार अहमद एएसआई की होने की पूष्टि की तथा एक अन्य महिला की आवाज को पहचानने से इन्कार किया तथा मूल सी.डी. पर परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में रख सिलचिट की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल सी.डी. एवं डब सीडी को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई। तत्पश्चात परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी व स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद व श्री मोजीराम के व आरोपी श्री निसार अहमद के व पुलिस थाना आमेट के कर्मचारी श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 387 के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखे हुये डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को चालु कर दिनांक 20.09.2023 को समय 05.33 पी.एम. पर परिवादीया मीना के मोबाईल फोन नंबर 8005975581 से आरोपी श्री निसार अहमद एएसआई के मोबाईल नंबर 8769836286 पर वाट्सअप वॉईस कॉल पर की गई रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि लेन–देन संबंधित वार्ता, की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने निर्देशन में श्री किशनाराम कानि. नं. 404 से मूर्तिब कराई तथा श्री किशनाराम कानि. नं. 404 के द्वारा ही ब्यूरो के लेपटॉप से डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सी.डी. तैयार की गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादीया मीना व आरोपी श्री निसार अहमद ने अपनी–अपनी आवाज होने की पुष्टि की तथा श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 387 ने उक्त वार्ता में एक आवाज श्री निसार अहमद एएसआई की होने की पूष्टि की तथा एक अन्य महिला की आवाज को पहचानने से इन्कार किया तथा मूल सी. डी. पर परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में रख सिलचिट की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल सी.डी. एवं डब सी.डी. को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई। तत्पश्चात परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी व स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद व श्री मोजीराम के व आरोपी श्री कमलेश दर्जी के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखे हुये डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को चालु कर दिनांक 20.09. 2023 को समय 07.09 पी.एम. पर परिवादीया मीना के मोबाईल फोन नंबर 8005975581 से दलाल श्री कमलेश दर्जी के मोबाईल नंबर 8890798600 पर वाट्सअप वीडीयो कॉल पर की गई रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि लेन–देन संबंधित वार्ता, की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने निर्देशन में श्री किशनाराम कानि. नं. 404 से मूर्तिब कराई तथा श्री किशनाराम कानि. नं. 404 के द्वारा ही ब्यूरो के लेपटॉप से डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सी. डी. तैयार की गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादीया मीना व आरोपी श्री कमलेश दर्जी ने अपनी–अपनी आवाज होने की पुष्टि की तथा सहपरिवादी सुरेश सालवी ने भी परिवादीया की व एक आवाज आरोपी कमलेश दर्जी की होने की पूष्ठि की तथा मूल सी.डी. पर परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में रख सिलचिट की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल सी.डी. एवं डब सी.डी. को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई।

तत्पश्चात समय 04.00 ए.एम. परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी व स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद व श्री मोजीराम के व आरोपी श्री कमलेश दर्जी के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखे हुये डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को चालु कर दिनांक 20.09.2023 को समय 07.40 पी.एम. पर परिवादीया मीना व आरोपी दलाल कमलेश दर्जी के मध्य रूबरू हुई रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता, की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने निर्देशन में श्री किशनाराम कानि. नं. 404 से मूर्तिब कराई तथा श्री किशनाराम कानि. नं. 404 के द्वारा ही ब्यूरो के लेपटॉप से डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सी.डी. तैयार की गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादीया मीना व आरोपी श्री कमलेश दर्जी ने अपनी–अपनी आवाज होने की पुष्टि की तथा सहपरिवादी सुरेश सालवी ने भी परिवादीया की व एक आवाज आरोपी कमलेश दर्जी की होने की पूष्ठि की तथा मूल सी.डी. पर परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में रख सिलचिट की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल सी.डी. एवं डब सी.डी. को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई।

तत्पश्चात परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी व स्वतंत्र गवाहान श्री गिर्राज प्रसाद व श्री मोजीराम के व आरोपीगण श्री निसार अहमद व कमलेश दर्जी व पुलिस थाना आमेट के कर्मचारी श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 387 के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखे हुये डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को चालु कर दिनांक 20.09.2023 को समय 08.00 पी.एम. पर आरोपी दलाल कमलेश दर्जी के मोबाईल नं. 8890798600 पर आरोपी निसार अहमद के मोबाईल नं. 8769836286 से आये हुये वाट्सअप वॉईस कॉल पर की गई रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि लेन–देन पश्चात वार्ता, की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने निर्देशन में श्री किशनाराम कानि. नं. 404 से मूर्तिब कराई तथा श्री किशनाराम कानि. नं. 404 के द्वारा ही ब्यूरो के लेपटॉप से डिजीटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सी.डी. तैयार की गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादीया मीना व सहपरिवादी सुरेश सालवी ने दोनो ही आरोपीगणों की आवाज की पहचान कर पुष्टि की तथा दोनो ही आरोपीगण श्री निसार अहमद एएसआई व श्री कमलेश दर्जी (दलाल) ने भी अपनी–अपनी आवाज की पहचान कर पुष्टि की तथा श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 387 ने उक्त वार्ता में एक आवाज श्री निसार अहमद एएसआई की होने की पूष्ठि की तथा एक अन्य व्यक्ति की आवाज को पहचानने से इन्कार किया तथा मूल सी. डी. पर परिवादीया मीना व सहपरिवादी श्री सुरेश सालवी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपीगणों के तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में रख सिलचिट की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल सी.डी. एवं डब सी.डी. को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई तथा तत्पश्चात आरोपी श्री निसार अहमद हाल ए0एस0आई0 पुलिस थाना आमेट व आरोपी श्री कमलेश दर्जी के विरूद्ध जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा0दं0सं0 में प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से उक्त दोनो आरोपीगणों को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। दोनों ही आरोपीगणों के मोबाईलों को जरिये फर्द जब्त किया जाकर फर्द पर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा डिजिटल वॉइस टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड 32 जीबी ग्रे/लाल रंग को सेनडिस्क लिखा हो, को वजह सबूत पृथक से जरिये फर्द जब्त कर नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में रख सिलचिट किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा परिवादीगण मीना व सुरेश सालवी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त सील को नष्ट किया जाकर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द के बाहर कुछ दुरी पर गंदे पानी की नाली में फिकवाई गई। फर्द नष्टीकरण जुदागाना तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता व आरोपी कमलेश के साथ सरकारी वाहन से रिश्वत राशि लेन–देन स्थल का निरीक्षण करने ग्राम भोलीखेडा परिवादीया मीना के बाडे के बाहर पहुंच दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री कमलेश दर्जी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा फर्द नक्शा मोका मुर्तिब किया जाकर मोके पर ही संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा

थानाधिकारी पुलिस थाना आमेट को एक तेहरीर परिवादीया मीना व उसके भाई सुरेश सालवी के विरूद्ध दर्ज परिवाद से संबंधित प्रमाणित दस्तावेजात प्राप्त करने हेतु थानाधिकारी थाना आमेट को प्रस्तुत कर परिवाद से संबंधित प्रमाणित दस्तावेजात प्राप्त किये गये तथा पुनः कार्यालय उपस्थित आये। आरोपीगणों का मेडीकल मुआयना कराया गया तथा गवाहान व परिवादीगण को रूखसत किया गया तथा आरोपीगणों को दिनांक 21.09.2023 को जरिये जे.सी. रिमाण्ड माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नं. 01, उदयपुर में पेश किया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री निसार अहमद ए0एस0आई0 पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादीया के विरूद्ध पुलिस थाना आमेट में दर्ज परिवाद में परिवादिया के पक्ष में कार्यवाही करने एवं आपसी राजीनामा कराने की एवज में रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये की मांग करना तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तानुसार परिवादिया द्वारा रिश्वत राशि कम करने की कहने पर 50,000 रूपये लेने पर सहमत होना, मांग अनुसार आज दिनांक 20.09.23 को 40,000/–रूपये आरोपी श्री कमलेश दर्जी के मार्फत प्राप्त करना, तथा आरोपी श्री कमलेश दर्जी द्वारा उक्त रिश्वत राशि 40,000/–रूपये अपने हाथों से गिनकर प्राप्त करने के बाद अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायी जेब में रखना, आरोपी की पहनी हुई उक्त पेन्ट की आगे की बायी जेब से रिश्वत राशि 40,000/– रूपये बरामद होना तथा उक्त आरोपी श्री कमलेश दर्जी द्वारा परिवादीया से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात श्री कमलेश दर्जी के वाट्सअप मोबाईल नंबर से आरोपी श्री निसार अहमद के वाट्सअप मोबाईल नंबर पर 40,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने

बाबत वार्ता होना तत्पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत दोनो हाथों के धोवण का रंग मटमैला होना व पहनी हुई पेन्ट जिसके आगे की बायी जेब को उलटवाने के पश्चात प्राप्त किये गये धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया जाने से आरोपी श्री निसार अहमद पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान उम्र 59 साल निवासी सहाडा, पुलिस थाना गंगापुर जिला भीलवाडा हाल ए0एस0आई0 पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द एवं श्री कमलेश पुत्र श्री अमरचन्द जाति दर्जी उम्र 27 वर्ष निवासी साकरडा तहसील व पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्व धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भा.दं.सं. का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होता है तथा उक्त आरोपीगण श्री निसार अहमद ए0एस0आई0 एवं श्री कमलेश दर्जी को गिरफ्तार किया गया।

अतः आरोपीगण श्री निसार अहमद पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान उम्र 59 साल निवासी सहाडा, पुलिस थाना गंगापुर जिला भीलवाडा हाल ए0एस0आई0 पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द व श्री कमलेश पुत्र श्री अमर चन्द जाति दर्जी उम्र 27 साल निवासी साकरडा, तहसील व पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द (दलाल) के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

भवदीय

(मंशाराम)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मंशाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यो से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण श्री निसार अहमद पुत्र श्री हसन खां, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना आमेट, जिला राजसमन्द एवं श्री कमलेश पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी साकरडा, तहसील व पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 257/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 2840-43 दिनांक 21.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमंद।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।